

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4714
उत्तर की तिथि	:	02.03.2022
विषय	:	मुआवजा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़)
सम्बन्धित मन्त्री	:	माननीय मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि नेशनल हाइवे-105 नालागढ़-स्वारघाट में जिन लोगों की जमीनें अधिगृहित की गई हैं, उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है; यदि हां, तो कब तक उन्हें मुआवजे की धनराशि दे दी जाएगी; ब्यौरा दें ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4714 जोकि श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना:-

जी नहीं, अधिग्रहित की गई जमीन का भू-मालिकों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। भूमि अधिग्रहण का संशोधित प्राक्कलन भूतल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2021 को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भू-मालिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। ब्यौरा अनुबन्ध-“क” पर दर्शाया गया है।

अनुबन्ध-“क”

The detail of LAC Award in which compensation is to be paid on approval of estimate from Ministry (MoRT&H).					
Sr. No.	Mauza	No. of Persons	Area Acquired	Award No. & Dated	Awarded Amount (in Rupees)
1	Redu Jhiriwala	40	2-5-19 Bighas	3/2019 dated 23.02.2019	67,29,753/-
2.	Untpur	29	25-15-0 Bighas	4/2019 dated 23-02-2019	3,19,96,890/-
3.	Dattowal	324	24-5-0 Bighas	2/2020 dated 18-02-2020	15,05,50,832/-
4.	Nangal Nighla	01	01 Biswa	11/2019 dated 05.11.2019	1,50,514/-
5.	Redu Jhiriwala	10	15 Biswa	1/2020 dated 31-01-2020	21,15,160/-
	Total	404		Total	19,15,43,149/-